

# कार्यालय उप वन संरक्षक, अलवर

क्रमांक : एफ ( ) एफसीए / उवस / 2019-20 / 5369

दिनांक : 20/6/19

निमित्त:-

अधिशायी अभियंता,  
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,  
खण्ड राजगढ़, अलवर।

विषय:- डायवर्जन ऑफ 0.05 है0 फोरेस्ट लैण्ड फोर वॉटर सप्लाई स्कीम विलेज सौंखरी डिस्ट्रिक्ट अलवर  
इन फेवर ऑफ पी.एच.ई.डी. (PHED)।

संदर्भ:- ई.डी.एस. F14(Water)2017/FCA/CCFIII Jaipur Dated 06.03.2019 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई.डी.एस. में वर्णित क्र.सं. 6 के क्रम में प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होने के कारण उक्त प्रस्ताव की कुल 3 हार्ड प्रतियों (एक प्रति मूल) की ओर आवश्यकता है।

अतः संदर्भित ई.डी.एस. के क्र.सं. 6 के क्रम में उक्त प्रस्ताव की कुल 3 हार्ड प्रति (एक प्रति मूल) और भिजवाए ताकी प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(डॉ. ए. एन. गुप्ता)  
उप वन संरक्षक,

अलवर  
दिनांक : 20/6/19

क्रमांक : एफ ( ) एफसीए / उवस / 2019-20 / 5370-72

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राज0 जयपुर
2. मुख्य वन संरक्षक जयपुर।
3. जिला कलक्टर अलवर।

(डॉ. ए. एन. गुप्ता)  
उप वन संरक्षक,

अलवर